उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–536/XX(8)/2015-07(1)/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशों की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/–प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २५ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T
upload करें
24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>